भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4240
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ

4240. **श्री दामोदर अग्रवालः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को समय पर प्रोत्साहन और अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले सहित तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार राजस्थान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ देने की निगरानी करती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए गांवों और ग्राम पंचायतों के लिए कोई विशिष्ट योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): आंगनवाड़ी सेवाएं मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजना के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को 4,500/- रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को 3,500/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,250/- रुपये प्रति माह के परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को मानदेय प्रदान करने के लिए निधि जारी करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को दिए जाने वाले मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात निम्नानुसार है:

राज्य और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - 60:40

पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर सहित)- 90:10

बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - 100:0

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के 005Aतहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूरा किए जाने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये का बीमा लाभ (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/(आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) 1.00 लाख रुपये का दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा कवर: जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी थीं, उन्हें कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के अंतर्गत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(iv) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामाकंन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई है।

******